



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-16022026-270163
CG-KA-E-16022026-270163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683।

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 683।

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

वेंगलुरु, 11 फरवरी, 2026

दिनांक 14.07.2025 को जारी अधिसूचना S.O. 3198(E) की क्रम संख्या 3 के संबंध में शुद्धिपत्र

का.आ. 720(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, वेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं।

तालिका

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लेवल क्रॉसिंग संख्या 123 के स्थान पर सीमित ऊँचाई वाले सबवे हेतु आरओबी का निर्माण, कि.मी. 205/200-300 (कडूर नगर, कडूर तालुक, चिकमगलूर जिला)	चिकमगलूर	सहायक आयुक्त, तरिकेरे उप-मंडल, तरिकेरे	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बैं छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 11th February, 2026

Corrigendum to SI No .3 of Notification issued vide S.O. 3198(E) dated 14.07.2025

S.O. 720(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl No	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of ROB for limited height subway in lieu of LC No. 123 at Km: 205/200-300 (Kadur Town, Kandur Taluk, Chikmaglur district)	Chikmagalur	Assistant Commissioner, Tarikere sub division, Tarikere	Regional Commissioner, Mysore

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction